रजिस्ट्री सं. डी. (डी. एन.)-72 REGISTERED NO. D. (D.N.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 458] नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 18, 1984/भाद्र 27, 1906
No. 458] NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 18, 1984/BHADRA 27, 1906

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वाणिज्य मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 18 सितम्बर, 1984

का. आ. 721(अ) :—केन्द्रीय सरकार, तम्बाकू उपकर अधिनियम, 1975 (1975 का 26) की धारा 1 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उस तारीख को, जिसको यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित की जाती है, ऐसी तारीख के रूप में नियुक्त करती है जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 प्रवृत्त होगी ।

[फाइल सं. 8/5/83-ई.पी. (कृषि-4)]

आर. बद्रीनाथ, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 18th Sept. 1984

S.O. 721(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 1 of the Tobacco Cess Act, 1975 (26 of 1975), the Central Government hereby appoints the date on which this notification is published in the Official Gazette as the date on which section 3 of the said Act shall come into force.

[File No. 8|5|83-EP(AGRI-VI)]

R. BADRINATH, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1984